184

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी–3/4/2008/3/एक भोपाल, दिनांक 11 फरवरी, 2008

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र.ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त, म.प्र.
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय :– सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारियों का शासन के विभागों में संविलियन।
संदर्भ :– इस विभाग का ज्ञापन क्रं सी–3/19/03/3/एक, दिनांक 6 दिसम्बर, 2003.

उपरोक्त संदर्भित ज्ञापन द्वारा निर्देश द्वारा दिए गए थे कि जब तक राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक उपक्रम के कर्मियों/अतिशेष कर्मियों को शासन की सेवा में संविलियन कर कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया जाता प्रशासकीय विभागों को चाहिए कि वे ऐसे प्रस्तावों पर विचार नहीं करें।

2/ मध्यप्रदेश सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों का लोक सेवा में संविलियन प्रतिशेध (संशोधन) अधिनियम, 2003 अधिसूचना दिनांक 29 अप्रेल, 2003 द्वारा जारी किया गया है। उपरोक्त अधिनियम की धारा–2(दो) के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक सी–3/19/03/3/एक, दिनांक 6 दिसम्बर, 2003 निरस्त किया जाए।

3/ सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को शासन के विभागों में संविलियन किये जाने के संबंध में निर्णय लिया गया है कि सार्वजनिक उपक्रमों की अपवादिक मामलों में उत्कृष्ट योग्यता तथा अर्हता रखने वाले कर्मचारी का लोक सेवा में संविलियन ''मध्यप्रदेश सार्वजनिक उपक्रमों की कर्मचारियों का लोक सेवा में संविलियन प्रतिशेध (संशोधन) अधिनियम, 2003'' के प्रावधान अंतर्गत करने के लिए प्रत्येक प्रकरण मंत्रि–परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

हस्ता/–
(अकीला हशमत)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठांकन कमांक सी–3/11/2000/3/एक भोपाल, दिनांक 20 फरवरी, 2008

प्रतिलिपि–

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर
2. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
3. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल
5. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल
7. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, म.प्र. भोपाल
8. मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक म.प्र., भोपाल
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र.भोपाल
10. सचव, म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, म.प्र., भोपाल
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता,म.प्र. च्च न्यायालय,खण्डपीठ इंदौर/ग्वालियर/जबलपुर
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सा.प्र.वि. मंत्रालय, भोपाल
15. उप सचिव/अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय, भोपाल
16. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, भोपाल
17. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, म.प्र., भोपाल
18. अध्यक्ष, म.प्र.राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल
19. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

हस्ता/–
(अकीला हशमत)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग